न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 30/2017 (राजसमन्द डिक्री)

1. श्री अम्बुड़ा पिता मन्ना जी रेगर निवासी बीकावास तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमन्द (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आमेट दिनांक 11–5–2016 प्रकरण संख्या 11/2015

————/————

उपस्थित :–1– श्री कैलाशचन्द्र रेगर अभिभाषक अपीलान्ट

2– राजकीय अधिवक्ता

————/————

निर्णय **दिनांक 10–11–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत धारा–88, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बीकावास में दिनांक 18–1–1975 को उसे आराजी नंबर 146 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा व आराजी नंबर 340 रकबा 5 बीघा कुल 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि साबिक आवंटित की गई। कब्जा सिपुर्द करने के बाद नामान्तरकरण संख्या 290 खोला गया तथा आराजी नंबर 146/2 रकबा 1.10 बीघा कायम किया गया तथा वादी को गेर–खातेदार अंकित किया गया। आराजी नंबर 340 रकबा 5 बीघा का नामान्तरकरण उसके नाम नहीं खोला गया, परन्तु कब्जा उसका रहा व उसने भूमि को श्रम व धन से आबादान किया। साबिक आराजी नंबर 146/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भ्ज्ञूमि को भी बिलानाम दर्ज कर दिया गया। साबिक आराजी नंबा 146/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि को आराजी नंबर 269 (वर्तमान रकबा .24 हैक्टर में शामिल कर दिया गया) तथा आराजी नंबर 340 रकबा 5 बीघा साबिक को वर्तमान आराजी नंबर

710 में रकबा 1.34 हैक्टर में शामिल करते हुए सारी भूमियां बिलानाम दर्ज कर दी गई। वादी ने उसे विधिक रूप से आवंटित भूमि की खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की मांगी की। दिनांक 13–4–2016 को पत्रावली प्रतिवादी सरकार के जवाब में लम्बित थी, जिसके लिए आगामी तिथि 11–5–2016 तय की गई थी। दिनांक 11–5–2016 के कैम्प के नोटिस अपीलान्ट वादी को तालिल नहीं हए। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलान्ट को नोटिस तामिल नहीं होने के बावजूद पत्रावली को कैम्प में रखी जाकर निम्नानुसार निर्णय पारित कर दिया :–

"पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। दौराने कार्यवाही राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा कैम्प ग्राम पंचायत बीकावास में प्रस्तुत हुई। प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार उपस्थित। वादी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार आमेट ने जवाब पस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम बीकावास के खसरा नंबर 710 मी. रकबा 1.3400 पर वादी श्री अम्बुड़ा पिता मन्ना रेगर का कब्जा नहीं है तथा भूमि काश्त योग्य नहीं है का जवाब प्रस्तुत किया गया। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दिनांक 18–1–1975 सब डिवीजनल ऑफिसर राजसमन्द के आवंटन पत्र की फोटो प्रति, मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस तथा भू–प्रबन्धक विभाग के खसरा पत्रक व जमाबन्दी रजिस्टर्ड सूचना पत्र की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे का अवलोकन करने पर विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा भूमि काश्त योग्य नहीं है। यहां तक कि वादी को सब डिवीजनल ऑफिसर राजसमन्द द्वारा 1975 में आवंटन आवश्यक हुई है, किन्तु आवंटन की पश्चात् वादी द्वारा मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं किया तथा न ही आवंटन आदेश की शर्तो की पालना की न ही उस जमीन को काबिल काश्त बनाने के लिए तथा न ही वादी द्वारा मौके पर कब्जा किया गया, जिससे वक्त सेटलमेन्ट में बिलानाम दर्ज कर दी गई, जो सही दर्ज की गई, जिससे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किये जाने योग्य साबित है"।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 11–5–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–5–2017 को पेश की गई। अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का

आवेदन व शपथ पत्र भी पेश किया । न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की, वहीं राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में लोक अदालत कैम्प में आकड़े पूर्ति के लिए मनमनसूद निर्णय पारित कर दिया है। प्रकण में तनकीयात एवं साक्ष्य नहीं ली गई तथा वादी को सुने बिना निर्णय पारित किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायम किये बिना तथा वादी को बिना सूचना दिये, बिना सुने एवं विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना निर्णय पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय व स्थापित विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–5–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में वादी अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर प्रकरण का अजसरे नव–निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 15–1–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

1–मु. भंवरीबाई पिता कुशाल जी पति देवा जी माली निवासी खेड़ी तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द व अन्य–4	बनाम	**1–श्रीमती लालीबाई पिता कुशाल जी माली पति रामा जी माली नि0 खेड़ी हाल निवासी मोही तह0 व जिला राजसमन्द व अन्य –5 व सरकार**

अपील नं0 **07/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **नाथद्वारा** ..... मुकाम मुक्र्खे.....**27**.....माह.....**07**..... **2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**25**..... माह .....**10**..... सन् **2017** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री संजय बोहरा .....** मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री खेमराज डांगी**..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–7–2011 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**25**..... माह ...**10**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0

1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।